REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227986 CG-DL-E-29062021-227986

> असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3551 No. 355] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुन, 2021

सा.का.नि. 443(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ तरलीकृत तल दहन (एफबीसी) प्रोद्धोगिकी वाले ताप विद्धुत संयंत्र द्वारा कोयला वाशरी से निकले हुए मिडिलिंग और अवशिष्ट के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए, उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम 8 का और संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ.1561(अ) तारीख 21 मई, 2020 द्वारा नियम बनाए थे।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 3305(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015 और सा.का.नि. 593(अ) तारीख 28 जुन, 2018 द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता और विद्युत संयंत्र की संस्थापना की तारीख और समयबद्ध रीति से प्राप्त किए जाने के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानकों और विनिर्दिष्ट जल उपभोग को प्रकाशित किया था।

और जबकि कोयला मंत्रालय ने अभ्यावेदन किया है कि उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (8) के खण्ड(i) के प्रतिबंधक मद(ii) सज्जिकृत कोयला उद्धोग को उसके धुलाई अवशिष्ट की सीमित बिक्री से संकट में डाल देगा। ऐसी 3586 GI/2021 (1)

वस्तुस्थिति में जबकि देश में तरलीकृत तल दहन (एफबीसी) की संख्या बहुत कम है और यह कि ताप विद्धुत संयंत्र में पहले ही उतसर्जन सन्नियमों का पालन करना अनिवार्य है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 अधीन विनिर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार फ्लाई ऐश के उपयोग का दायित्व है, और अवशिष्ट की ब्रिक्री से राजस्व भी उत्पन्न होता है जिससे धुलाई प्रक्रिया को जारी रखने में मदद मिलती है।

और जबकि ये भी अभ्यावेदन किया गया है कि बडे और परम्परिक ताप विद्धुत संयंत्र (पल्वेराइज्ड कोल फायर्ड वायलर्स), उन्नत प्रोद्धोगिकी के साथ बिनाइन दहन और उत्सर्जन को संभालने के लिए भी पूर्ण रूप से सुसज्जित है और अवशिष्ट के दहन के दौरान उत्पन्न ऐश को उच्चतर केलोरी मानक के कोयले (जीसीवी) के साथ विधिवत मिलाया जाता है और कि विद्धुत संयंत्र के संचालन के लिए निर्धारित सभी प्रचालित पर्यावरण और प्रदूषण सन्नियमो को भी ऐसे संयोजन के साथ सुनिश्चित किया जाता है, और इसलिए कोयला धुलाई के प्रक्रीया के दौरान उत्पन्न कोयला अवशिष्ट को बड़े और पारम्परिक पल्वेराईज कोल फायर्ड के ताप विद्धुत संयंत्र में, यदि ऐसे विद्धुत संयंत्र के लिए निर्धारित, उपयुक्त पर्यावरण और प्रदूषण सन्नियम का पालन किया जा रहा है, तो ऐसे अवशिष्ट को उच्चतर श्रेणी के कोयले के साथ मिलाकर उपयोग करने के लिए विचार किया जा सकता है।

और जबकि प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर और सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह नोट किया गया है कि—

(क) वाशरी से उत्पन्न मिडलिंग और अवशिष्ट रन ऑफ माइन (आरओएम), सीम गुणवत्ता, वाशरी में उपयोग हो रही प्रौद्योगिकी और उत्पाद की आश्यित गुणवत्ता आदि के आधार पर ऐश की अलग-अलग डिग्री और केलोरीमान रखते हैं।

(ख) बडे पैमाने पर मिडलिंग (कोकिंग कोयला वाशरी से) की गुणवत्ता जी-10 जी-11 श्रेणी के कोयले के समान होती है जिसका सकल केलोरीमान (जीसीवी) 4000-4500 कि.केल/कि.ग्रा. होता है और उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी पर विचार किए बिना विद्युत उत्पादन के लिए उत्तम होता है।

(ग) अपशिष्ट सामान्यत: श्रेणीकृत कोयला की गुणवत्ता (जी-17-जीसीवी से नीचे 2200 कि.केल/कि.ग्रा. से कम) से नीचे होता है। बडे पैमाने पर अवशिष्ट में भार के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक ऐश और 25 प्रतिशत से कम कार्बन होता है। अवशिष्ट कोयला गैर तापीय सेक्टर, जहां कम ताप की आवश्यकता होती है, जैसे ईंट की भट्टी, ईंट और सिलिकेट उत्पादन उद्योग में उपयोग होता है। ऐसे उद्योग से उत्पन्न ऐश उचित तौर पर विनियमित नही होती और इसलिए प्रतिवेशी वायु कि गुणवत्ता में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बहुत से वायलर में फीड स्टाक में वृद्धि के लिए अवशिष्ट को अन्य उच्च गुणवत्ता के कोयले के साथ मिलाया जाता है, और इसलिए ताप विद्धुत संयंत्र में ऐसे अवशिष्ट की मांग होती है।

(घ) ऐश के प्रभाव के लिए कोयले के स्तोत्र और प्रकार के अनपेक्ष कोयला या लिगनाइट अधारित ताप विद्धुत संयंत्र से उत्पन्न ऐश को अधिसूचना (फ्लाई ऐश का उपयोग पर) संख्या का.आ.763(अ) तारीख 14 सितंबर,1999 और उसके संशोधनों द्वारा विनियमित किय़ा जाता है।

(ड़) सभी ताप विद्धुत संयंत्रो में उनके फीड स्टाक से अनपेक्ष उत्सर्जन सन्नियम और फ्लाई ऐश अधिसूचना के उपबंधो का अनुपालन अनिवार्य है, और इसिलिए फीड स्टांक औक प्रोद्धोगिकी के प्रयोग का विनियम व्यर्थ है।

अब, अत: केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के भाग (अ) के अधीन सूचना देने अनिवार्यता हटा देने के उपरांत जनहित पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में, नियम 3 के उपनियम (8) के खंड (1) में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:—
- "(ii) कोयला वाशरी के मामले में, मिडलिंग और अवशिष्टों का किसी भी ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जा सकेगा यदि उक्त ताप विद्युत संयंत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना

3

सं. का.आ.763(अ) तारीख 14 सितंबर, 1999 और उसके संशोधन [का.आ.979(अ) तारीख 27 अगस्त, 2003, का.आ. 2804(अ) तारीख 3 नवंबर, 2009 और का.आ. 254(अ) तारीख 25 जनवरी, 2016] के साथ पठित अधिसूचना सं. का;आ. 3305(अ) तारीख 7 दिसंबर, 2015 और समय-समय पर जारी संबंधित पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं और संशोंधनों में यथाविनिर्दिष्ट निधार्रित उत्सर्जन और फ्लाई ऐश मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।"

[फा. सं. जे-13014/01/2020-आईए-1 (टी)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, का.आ.844(अ) तारीख 19 नवंबर, 1986 और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ.82(अ) तारीख 16 फरवरी, 1987; का.आ. 64(अ) तारीख 18 जनवरी, 1988; सा.का.नि. 931(अ)तारीख 27 अक्तूबर, 1989; का.आ.23(अ) तारीख 16 जनवरी, सा.का.नि; 95(अ) तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि. 329(अ) तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 562(अ) तारीख 27 मई, 1992, सा.का.नि. 884(अ) तारीख 20 नवंबर, 1992, सा.का.नि. 386(अ) तारीख 22 अप्रैल, 1993; सा.का.नि. 422(अ) तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि.801(अ) तारीख 31 दिसंबर, 1993; सा.का.नि. 320(अ) तारीख 16 मार्च, 1994; सा.का.नि. 560(अ) तारीख 19 सितंबर, 1997; सा.का.नि. 378(अ) तारीख 30 जून, 1998; सा.का.नि. 7(अ) तारीख 22 दिसंबर, 1998; सा.का.नि. 407(अ) तारीख 31 मई, 2001; सा.का.नि. 826(अ) तारीख 16 नवंबर, 2009; सा.का.नि. 513(अ) तारीख 28 जून, 2012; सा.का.नि. 02(अ) तारीख 2 जनवरी, 2014; का.आ.3305(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015; सा.का.नि. 593(अ) तारीख 28 जून, 2018; का.आ. 236(अ), 16 जनवरी, 2020, का.आ.1561(अ), 21 मई, 2020 और सा.का.नि. 243(अ) तारीख 31 मार्च, 2021 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

G.S.R. 443(E).—Whereas the Central Government had, in exercise of its powers under section 3, section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (thereinafter referred to as the said rules), made rules further to amend sub-rule (8) of rule 3 of the said rules *vide* notification number S.O. 1561 (E), dated the 21st May, 2020, *inter-alia*, mandating use of 'middling' and 'rejects' from coal washeries by the Thermal Power Plants having Fluidised Bed Combustion (FBC) technology;

And whereas, the Central Government had, in exercise of its powers under sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, in the Gazette of India, Extraordinary, vide notifications number S.O. 3305 (E), dated the 7th December, 2015 and G.S.R. 593 (E), dated the 28th June, 2018, published the emission standards of fly ash and specific water consumption for various category of thermal power plants, based on capacity of power generation and date of installation of power plant, to be achieved in time bound manner;

And whereas, the Ministry of Coal represented that the restrictive item (ii) of Clause (1) of sub-rule (8) of rule 3 of the said rules clause (4) of said sub-rule (8) will result in a crisis in the Coal beneficiation industry by

limiting its sale of washing rejects, in view of the fact that presently the Fluidised Bed Combustion (FBC) plants in the country are very limited in number and that the thermal power plants are already mandated to follow the emission norms and have obligation to utilise fly ash as per specific notification under the Environment (Protection) Act, 1986, and the sales of reject also generates revenue that helps in sustaining washing operations;

And whereas, it has also been represented that Large and Conventional Thermal Power Plants (Pulverised Coal-Fired Boilers), with advanced technologies, are fully equipped for benign combustion and also to handle the emissions and ash, generated during combustion of rejects duly blended with Coal of higher Gross Calorific Value (GCV) and that all prevalent environment and pollution norms, stipulated for the operations of power plants, can also be ensured with such combination, and the coal rejects, generated during coal-washing process can therefore, be considered for utilisation in large scale conventional Pulverised Coal-Fired (PF) thermal power plants, by blending such rejects with higher grade coal provided they continue to meet the applicable environmental and pollution norms stipulated for such power plants;

And whereas, based on the representations received and after careful considerations, it is noted that-

- (a) The middling and rejects, generated from washeries, possess varying degree of ash and calorific values depending on the seam quality of Run of Mine (ROM), technology used in washery and the intended quality of product, etc.
- (b) Broadly, quality of middling (from Coking coal washery) are similar to G10-G11 grade of coal having Gross Calorific Value (GCV) 4000-4500 kcal/kg and is good to be used for power generation, irrespective of technology in use.
- (c) The rejects are generally below the quality of graded coal (Lower than G17 GCV less than 2200 Kcal/kg). Broadly, rejects have more than 70% of ash by weight and less than 25% Carbon. Reject coal are being used in non-thermal sectors like brick kiln, briquette and silicate manufacturing industries, where heat requirement is low. The ash generated from such industries are not properly regulated and therefore, it contributes significantly to the deterioration in the ambient air quality. Blending of reject with other good quality of coal for optimisation of feed stock in many boilers is also practiced and therefore, there is demand of such rejects in the Thermal Power Plants.
- (d) Ash generated from coal or lignite thermal power plants, irrespective of the source or type of coal is regulated by the notification (on Fly Ash utilisation) number S.O.763(E), dated the 14th September, 1999 and its amendments for effective utilisation of ash.
- (e) Compliance to the provisions of Emission norms and Fly ash notification is essential for all thermal power plant, irrespective of their feed -stock, and therefore, regulation on feed-stock or use of technology becomes redundant.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3, section 6 and section 25 of the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rule, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 3, in sub-rule (8), in clause (1), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

" (ii) In case of coal washeries, middling and rejects to be utilised in any Thermal Power Plants, subject to the said Thermal Power Plant complying with the stipulated emission and fly ash norms as specified in Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number S.O. 3305 (E) dated the 7th December, 2015, read with the notification number S.O. 763 (E), dated the 14th September, 1999 and its amendments [vide numbers S.O. 979 (E), dated the 27th August, 2003, S.O. 2804 (E), dated the 3rd November, 2009 and S.O. 254(E) dated 25th January, 2016] and related subsequent notifications and amendments issued from time to time".

[F. No. J-13014/01/2020-IA-1 (T)]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E), dated the 19th November,1986 and subsequently amended vide numbers S.O. 82(E), dated 16th February, 1987; S.O. 64(E), dated18th January, 1988; G.S.R. 931(E), dated 27th October, 1989; S.O. 23(E), dated 16th January, 1991; G.S.R. 95(E), dated 12th February, 1992; G.S.R.329(E), dated 13th March, 1992; G.S.R. 562(E), dated 27th May, 1992; G.S.R. 884(E), dated 20th November, 1992; G.S.R. 386(E), dated 22nd April, 1993; G.S.R. 422(E), dated 19th May, 1993; G.S.R. 801(E), dated 31st December, 1993; G.S.R. 320(E), dated 16th March, 1994; G.S.R. 560(E), dated 19th September, 1997; G.S.R. 378(E), dated 30th June, 1998;G.S.R. 7(E), dated 22nd December, 1998; G.S.R. 407(E), dated 31st May, 2001; G.S.R. 826(E), dated 16th November, 2009; G.S.R. 513(E), dated 28th June, 2012; G.S.R. 02(E) dated 2nd January, 2014; S.O. 3305 (E), dated 7th December, 2015; G.S.R. 593(E), dated 28th June, 2018; S.O. 236 (E), dated 16th January, 2020, S.O. 1561 (E), dated 21st May, 2020 and G.S.R. 243 (E), dated the 31st March, 2021.